प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2017**

विषय:-राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-724/मु0म0प्र0(वित्त)/विप्र-1/14-15/आरईसी/02/400, दिनांक 26 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 50,00,00,000/- (रूपये पचॉस करोड़ मात्र) में से लेखानुदान अवधि हेतु (माह अप्रैल, 2017 से माह अगस्त, 2017 तक) धनराशि रूपये 20,83,00,000/- (रूपये बीस करोड़ तिरासी लाख मात्र) में से धनराशि रूपये 3,34,29,648/- (रूपये तीन करोड़ चौंतीस लाख उनतीस हजार छः सौ अड़तालिस मात्र) प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण में अंकित धनराशि के लिए आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

क्रम0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	जनपद	वैट की धनराशि (रूपये में)
1	मै0 एबसूलेट प्रोजेक्टस (इण्डिया) लि0 नई दिल्ली।	शामली	28,43,143/-
2	मै0 एबसूलेट प्रोजेक्टस (इण्डिया) लि0 नई दिल्ली।	शामली	57,11,431/-
3	पेस पावर सिस्टम प्रा0 लि0	बदायूँ	2,48,75,074/-
	योग-		**3,34,29,648/-**

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनेत्तर-06-ग्रामीण विद्वुतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05-राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति -30- निवेश-ऋण" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 112 -दस-2017, दिनांक 11 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 57 /2017/1732(1)/24-1-17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in